



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 993।

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 5, 2006/भाद्र 14, 1928

No. 993।

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 5, 2006/BHADRA 14, 1928

कम्पनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2006

का.आ. 1439(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का 8) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रबोग करते हुए, 5 सितम्बर, 2006 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 6 प्रवर्तन में आएगी।

[फा. सं. 5/27/2006-सी.एल.व]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2006

का.आ. 1440(अ).—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउन्टेंट (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का 9) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 5 सितम्बर, 2006 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 6 प्रवर्तन में आएगी।

[फा. सं. 5/27/2006-सी.एल.व]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2006

S.O. 1439(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 1 of the Company Secretaries (Amendment) Act, 2006 (8 of 2006), the Central Government hereby appoints the 5th September, 2006, as the date on which Section 6 of the said Act shall come into force.

[F. No. 5/27/2006-CL.V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2006

S.O. 1440(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 1 of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 (9 of 2006), the Central Government hereby appoints the 5th September, 2006, as the date on which Section 6 of the said Act shall come into force.

[F. No. 5/27/2006-CL.V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.